न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौडगढ (राज0)

प्रकरण संख्या– 44 / 2021 प्रार्थना पत्र   निर्णय दिनांकः– 17.06.2021

1. मु0 सन्दल पत्नी स्व0 मो0 हाशम जाति मुसलमान उम्र 70 साल निवासी नई आबादी, मेवाती मोहल्ला, निम्बाहेड़ा, (राज0)।
2. मो0 रफीक पुत्र स्व0 मो0 हाशम जाति मुसलमान उम्र 45 निवासी नई आबादी, मेवाती मोहल्ला, निम्बाहेड़ा, (राज0)।
3. मो0 सईद पिता हाशम जाति मुसलमान उम्र 50 साल निवासी नई आबादी, मेवाती मोहल्ला, निम्बाहेड़ा, तह0 निम्बाहेड़ा (राज0)।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. अब्दुल समद पिता मो0 शरीफ जाति मुसलमान उम्र 37 साल निवासी नई आबादी, मेवाती मोहल्ला, निम्बाहेड़ा, (राज0)।
2. मु0 जुबैदा पत्नी मो0 शरीफ जाति मुसलमान उम्र 60 साल निवासी नई आबादी, मेवाती मोहल्ला, निम्बाहेड़ा, (राज0)।
3. मो0 सलीम पिता स्व0 गफुर जाति मुसलमान उम्र 60 साल निवासी नई आबादी, मेवाती मोहल्ला, निम्बाहेड़ा, (राज0)।
4. नारायणलाल पुत्र रतनलाल जाति मीणा आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेड़ा राज0।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0ले0रे0 एक्ट

आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा मांगरोल प0ह0 मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 943 की आराजी नं0 3682 / 1467 रकबा 0. 2100 हैक्टेयर, आराजी नं0 3683 / 1463 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, कुल किता 02 कुल रकबा 0.3500 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिसके कारण प्रार्थीगण व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 300 / –रू0 फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी कि आराजियात वाके मौजा मांगरोल प0ह0 मांगरोल तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 943 की आराजी नं0 3682 / 1467 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी नं0 3683 / 1463 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, कुल किता 02 कुल रकबा 0.3500 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 17.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official